



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले व डरा-धमकाकर रंगदारी/वसूली करने वाले गिरोह के 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार (03 अवैध तमंचे, कारतूस व नगदी बरामद)

दिनांक 20.08.2026

जनपद सीतापुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन, तथा क्षेत्राधिकारी मिश्रिख के नेतृत्व में थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा 19/20 अगस्त 2026 की रात्रि में त्वरित एवं साहसिक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले तथा डरा-धमकाकर अवैध वसूली/रंगदारी करने की घटना में शामिल 08 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना एवं गिरफ्तारी का विस्तृत विवरण:

दिनांक 19.08.2026 की रात्रि पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2026 धारा 308(5), 3(5) BNS के वांछित अभियुक्तों की बीबीपुर-अटवा रोड पर लेखनापुर गांव मोड़ के पास बाग से पुलिस टीम द्वारा रणनीति बनाकर घेराबंदी की। झाड़ियों एवं पेड़ों की आड़ से पुलिस टीम को आगे बढ़ते देख अभियुक्तों ने सकपका कर ललकारा। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने पर अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस एवं हिकमत अमली का परिचय देते हुए घेराबंदी कर मौके से सभी 08 अभियुक्तों को हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. गोलू उर्फ आकिब पुत्र मंजू, निवासी ग्राम औरंगाबाद, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
2. शशीकान्त पुत्र पप्पू, निवासी फूलपुर झरिया, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
3. प्रशान्त कुमार पुत्र राजाराम, निवासी ककरइया, थाना महोली, जनपद सीतापुर।
4. शिवांक पुत्र लेखराम, निवासी फूलपुर झरिया, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
5. सुफियान पुत्र सत्तार खाँ, निवासी अटवा, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
6. गुफरान पुत्र गफ्फार, निवासी ग्राम अटवा, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
7. विकास पुत्र रामलाल, निवासी ग्राम औरंगाबाद, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर।
8. शोएब उर्फ समीर उर्फ बाबा पठान पुत्र अजमल, निवासी ग्राम औरंगाबाद, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर (वसूली गिरोह का मुख्य सूत्रधार व रेकीकर्ता)।

बरामदगी का विवरण:

अवैध शस्त्र एवं कारतूस:

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (नाल में फंसा 01 खोखा कारतूस व जेब से 01 जिंदा कारतूस 315 बोर) —
(अभियुक्त गोलू से)

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (नाल में फंसा 01 मिस फायर कारतूस व जेब से 01 जिंदा कारतूस 315 बोर)
— (अभियुक्त प्रशान्त से)

01 अदद देशी तमंचा .32 बोर (नाल में फंसा 01 जिंदा कारतूस व जेब से 01 जिंदा कारतूस .32 बोर) —
(अभियुक्त गुफरान से)

नकद धनराशि: कुल 10,500/- (दिनांक 17.08.2026 को सत्यप्रकाश मौर्या से डरा-धमकाकर वसूले गए रुपयों में से बचे हुए हिस्से)

पूछताछ व अपराध करने का तरीका:

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों की रेकी कर उन्हें डरा-धमकाकर पैसों की वसूली करते हैं। अभियुक्त शोएब उर्फ समीर निगरानी रखने और गिरोह को पुलिस की गतिविधियों से सतर्क करने का काम करता था। दिनांक 17.08.2026 की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने पर शोएब ही इन्हें बाहर भगाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर रहा था। पकड़े जाने के डर से अभियुक्तों ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन साथ नहीं रखे थे।

पंजीकृत अभियोग एवं कानूनी कार्रवाई:

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नैमिषारण्य पर निम्नलिखित धाराओं के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है:

1. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109(1)/3(5) BNS एवं 25(1-b) आयुध अधिनियम (पुलिस टीम पर जानलेवा हमला एवं अवैध शस्त्र संचालन)।
2. मु0अ0सं0 141/2026 धारा 308(5), 3(5) BNS में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है।
3. प्रकरण में अभियुक्त शोएब उर्फ समीर उर्फ बाबा पठान का नाम घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में प्रकाश में लाया गया है।

अभियुक्त गोलू उर्फ आकिब का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 104/2024 धारा 323,452,504,506 भादंवि

अभियुक्त गुफरान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-153/2024 धारा 115(2),126(2) BNS

अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-259/2023 धारा 3,4 DP Act 304B,498A

आपराधिक इतिहास शोएब उर्फ समीर उर्फ बाबा पठान(हिस्ट्रीशीटर)

1	मु0अ0सं0 1469/07	धारा467/468/419/420/379/412/IPC	थाना कोतवाली कैसरबाग कमिश्नेट लखनऊ
2	मु0अ0सं0 1460/07	धारा 467/468/419/420/IPC	थाना कोतवाली कोतवाली नगर सीतापुर
3	मु0अ0सं0 551/07	धारा 3(1) Gangster Act	थाना कोतवाली कोतवाली नगर सीतापुर
4	मु0अ0सं0 428/07	धारा 207/MV Act	थाना कोतवाली कोतवाली नगर सीतापुर
5	मु0अ0सं0 427/07	धारा323/504/506/427/ IPC	थाना कोतवाली कोतवाली नगर सीतापुर
6	मु0अ0सं0 427/07	धारा 323/504/506/427/IPC	थाना कोतवाली मिश्रित सीतापुर
7	मु0अ0सं0 427/07	धारा 323/504/427/IPC	थाना कोतवाली मिश्रित सीतापुर
8	मु0अ0सं0 137/10	धारा 147/148/149/307/IPC	थाना कोतवाली मिश्रित सीतापुर
9	मु0अ0सं0 139/10	धारा 25(1)B/Arms Act	थाना कोतवाली मिश्रित सीतापुर
10	मु0अ0सं0 18310	धारा 392/412/420/467/468/471/ipc	थाना कोतवाली विसवां सीतापुर
11	मु0अ0सं0 630/16	धारा 380/411/IPC	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
12	मु0अ0सं0 684/16	धारा 411/414/467/472/IPC	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
13	मु0अ0सं0 96/16	धारा 380/411/ipc	थाना सबई माधौपुर राजस्थान
14	मु0अ0सं0 54716	धारा 411/414/467/472/ipc	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
15	मु0अ0सं0 494/16	धारा 380/411/ipc	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
16	मु0अ0सं0 541/16	धारा 380/411/ipc	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
17	मु0अ0सं0 184/20	धारा 8,20,B,li/NDPS Act	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
18	मु0अ0सं0 185/20	धारा 411/414/419/ipc	थाना जीआरपी चारबाग जीआरपी लखनऊ
19	मु0अ0सं0 284/20	धारा 25(1)B/Arms Act	थाना कोतवाली मिश्रित सीतापुर
20	मु0अ0सं0 166/20	धारा 379/411/IPC	थाना अमीनाबाद जनपद कमिश्नेट लखनऊ
21	मु0अ0सं0 75/26	धारा 303(2)/317(2)/bns	थाना कोतवाली कोतवाली नगर सीतापुर
22	मु0अ0सं0 141/26	धारा 3(5)/308(5)BNS	थाना थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 उबैश अली (थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर)
2. उ0नि0 अखिलेश सिंह
3. हे0का0 राजकुमार
4. का0 अंकुर कुमार
5. का0 रोबिन्स कुमार

6. का0 सौवन्त सिंह,
7. का0 मोहित कुमार,
8. का0 धर्मवीर,
9. का0 अर्जुन खोखर,
10. का0 विपिन कुमार,
11. का0 सखिन सिंह

